25/11/24 पत्रावली आज पेश हुई। अपीलांट/अभिवक्ता अपीलांट अनु.। अपीलांट का रजि. डाक पता उपलब्ध नहीं है एवं न्यायालय के पास तामिली हेतु साधन नहीं है। अतः पुनः अपील पेश करने के विकल्प के साथ अपील/अपीलांट अदम पैरवी/अदम पैरवी में खारिज की जाती है। मिसल बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

मेहता